न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

प्रमोद कुमार (आर .ए.एस) राजस्व लोक अदालत शिविर प्रभारी अधिकारी उपखण्ड कनवास जिला कोटा

मिसल नंबर 390/14

निर्णय दिंनाक 08.06.2017

1. बंजरंगलाल पुत्र प्रभूलाल जाति माली निवासी गुंजारा तहसील कनवास।

बनाम

1. गेपाल पुत्र प्रभू जाति माली निवासी गुंजारा तहसील कनवास।
2. रामप्यारी पुत्री प्रभू पत्नि लटूरलाल जाति माली निवासी धूलेट तहसील कनवास।
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब कनवास तहसील कनवास।

उपस्थित :—

वादी स्वंय

प्रतिवादी क्रम 03 पेरोकार सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।

दावा इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट

निर्णय

वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम टोस्या पटवार मण्डल लोढाहेडा तहसील कनवास जमाबंदी सवृत 2067—2070 में खाता संख्या 55 मे रकबा 2.57 है0, आराजी स्थित है।

य कि उक्त आराजी में रामप्यारी, गोपाल काल्याणीबाई का 3/8 हिस्सा निहित है। कल्याणीबाई 5 वर्ष पूर्व फोत हो गई है। इसका फोत होने पर उसका फोती इंतकाल उसके उपरांत सजरे मुताबिक उसके वारिसान बजरंगलाल, गोपाल, व रामप्यारी तीनों के नाम दर्ज होना चाहिए था परन्तु हल्का पटवारी द्वारा नामा0 न0 73 दिंनाक 02.12.2010 से मृतक कल्याणीबाई का फोती नामान्तरण दर्ज करने के स्थान पर कल्याणीबाई का नाम खाते से खारीज करने का दर्ज किया जिसका वादी के हितों पर विपरित प्रभाव यह पडा कि वादी का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज नंही होने से वादी अपनी माता कल्याणीबाई के हिस्से की भूमि में से विरासत अनुसार अपने हक को प्राप्त करने से वंचित हो गया ताकि कल्याणबाई का हिस्सा गोपाल व रामप्यारी के ही नाम दर्ज हो गया इस वादी

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

के हित पर कुठार घात हुआ है। यदि कल्याणीबाई का फोती इंतकाल विरासत के आधार पर वारिसान के नाम खोला जाता तो ादी अपना हक प्राप्त कर सकता था वादी के इसके हक से वंचित करने के कारण यह दावा खतेदारी घोषणा व इन्द्राज दुरूस्त करने हेतु पेश किया गया।

वादी द्वारा पुनः वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व खातेदारी हक घोषणा की डिक्री पारीत की जाकर ग्राम टोस्या की खसरा नंबर 55 की रकबा 2.57 है0, आराजी में कल्याणी के निहित 1/8 हिस्सा में प्रतिवादीगण 01 व 02 के साथ वादी को भी सहखातेदार घोषित किया जावे एवं इन्द्राज दुरूस्त कर राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम भी दर्ज किया जावे। (कुल आराजी में वादी का 1/24 हिस्सा दर्ज करावें)

वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की ग्राम टोस्या की खसरा नंबर 55 की रकबा 2.57 है0, आराजी को खुर्द–बुर्द रहने बे नेंही करें तथा वादी को उसका हिस्सा काश्त करने में मदाखलत व मजामहत न करें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी की तलवी की गई।

पत्रावली सुनवाई हेतु राजस्व लोक अदालत शिविर न्याय आपके द्वार में प्रस्तुत की गई प्रतिवादीगण 01 लगायत 02 बावजूद सूचना अनुपस्थित हुये। प्रतिवादी क्रम 03 की ओर से दिंनाक 25.06.2016 को पेश कर निवेदन किया कि वाद चरण 01 में वर्णित आराजी में प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 02 के हिस्सा 3/8 में से वादी को हिस्सा 1/24 एवं प्रतिवादीगण 01 व 02 को हिस्सा 4/24 – 4/24 का सहखातेदार घोषित किया जाना उचित होगा।

अतः वादपत्र में संलग्न दस्तावेंजों एवं उपलब्ध रिकार्ड, जवाब सरकार के आधार पर इस निष्कर्श पर पहुंचते हैं कि ग्राम टोस्या की खसरा नंबर 55 की रकबा 2.57 है0, आराजी में कल्याणीबाई के निहित 1/8 हिस्से में प्रतिवादीगण 01 व 02 के साथ वादी को भी सहखातेदार घोषित किया जाना उचित समझते हैं।

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम टोस्या की खसरा नंबर 55 की रकबा 2.57 है0, आराजी में कल्याणीबाई के निहित 1/8 हिस्से में प्रतिवादीगण 01 व 02 के साथ वादी को भी सहखातेदार घोषित किया जाता है साथ ही आदेश दिया जाता है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वह उक्त आराजी को खुर्द–बुर्द रहन बें नंही करें तथा वादी को उसका हिस्सा काश्त करने में मदाखलत व मजामहत न करें।

08-06-2017 को खूले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

(प्रमोद कुमार सिंघव आर ए एस)
पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत
उपखण्ड प्रभार कनवास

उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

प्रमोद कुमार सिंन्घव (आर .ए.एस) राजस्व लोक अदालत शिविर प्रभारी अधिकारी उपखण्ड कनवास जिला कोटा

1. बंजरंगलाल पुत्र प्रभूलाल जाति माली निवासी गुंजारा तहसील कनवास।

बनाम

1.गेपाल पुत्र प्रभू जाति माली निवासी गुंजारा तहसील कनवास।

2. रामप्यारी पुत्री प्रभू पत्नि लटूरलाल जाति माली निवासी धूलेट तहसील कनवास।

3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब कनवास तहसील कनवास।

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर, टी एक्ट

मुकदमा नं 390/14 सन 2014 निर्णय दिंनाक 08.06.2017 यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू उपखण्ड अधिकारी कनवास ब हाजरी वादीगण स्वंय एवं प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि ग्राम टोस्या की खसरा नंबर 55 की रकबा 2.57 है0, आराजी में कल्याणीबाई के निहित 1/8 हिस्से में प्रतिवादीगण 01 व 02 के साथ वादी को भी सहखातेदार घोषित किया जाता है साथ ही आदेश दिया जाता है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वह उक्त आराजी को खुर्द–बुर्द रहन बें नंही करें तथा वादी को उसका हिस्सा काश्त करने में मदाखलत व मजामहत न करें।

व राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08.06.2017 को जारी की गई।

मोहर ....

(प्रमोद कुमार सिंन्घव आर.ए.एस)

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा ''''	----------NIL----------		स्टाम्प वकालतनामा ''''	----------NIL----------	
स्टाम्प वकालतनामा '''			स्टाम्प अर्जी ''''		
स्टाम्प वजह सबूत ''''			महनताना वकील ''''		
महनताना वकील ''''			खर्चा गवाहान ''''		
खर्चा गवाहान ''''			फीस कमिश्नर ''''		
फीस कमिश्नर ''''			बाबत इजराय हुकमनामा''''		
बाबत इजराय हुकमनामा ''''			मुतफर्रिक '''		
मुतफर्रिक ''''			मीजान ''''		
मीजान ''''					

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

(प्रमोद कुमार सिन्हा आर ए एस)
पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत
उपखण्ड प्रभार कनवास

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज.)